जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर (छ.ग.)

(जिला/राज्य का नाम)

कार्यालय दूरभाष : 0771–2427717, फैक्स : 0771–2439899

ज्ञाप कं./मान्यता/नवीनीकरण/2011/ 4719 /दिनॉक : 25/07/2011

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष,

श्रीमती दुर्गा देवी सेवा समिति रायपुर
श्रद्धा पब्लिक स्कूल गरियाबंद

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 30/06/2011 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत मैं श्रद्धा पब्लिक स्कूल गरियाबंद (विद्यालय का नाम पता सहित) का तारीख 2011 से 2011 तक तीन वर्षो की अवधि के लिए, कक्षा नर्सरी से आठवी तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवी के पश्चात् मान्यता/संबद्वन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (परिशिष्ट–दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा –विहीन समूल के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बच्चें या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चें को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधां का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

(एक)प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी (प्रारभिंक) शिक्षा पूरी होने

तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ।

(पांच) अधिनियम के उपबंधों च के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(छः) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूननतम अर्हताएं नही है 5वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ।

(सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और

(आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

8 विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित का क्षेत्र
खेल के मैदान का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्रधानपाठक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार के लिए कक्ष
बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन् सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद के उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9 विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलो का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

12 विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ यां किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक M.S.82 है । कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

टीप :– स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) में मान्यता का कंमाक एवं दिनॉक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

25/7/11

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठां. क. / मान्यता / नवीनीकरण / 2011 / 4720 / रायपुर, दिनॉक 25/07/2011

प्रतिलिपि :–

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद को सूचनार्थ।

25/7/11

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)